as decided for the Budget Estimates 1995-96, is as under:

	Rs. Crores
(a) Internal & Extra Budgetary Resources—	2019.00
(b) Gross Budgetary Support—	241.00
Total —	2260.00

(c)and (d) Yes, Sir; achievements of CIL during 1994-95 are:

Production (in million tonnes)	223.07
Labour Prodcutivity (in tonnes per manshift)	1.63
Off take of coal (in million tonnes)	222.54
Wagon loading (average four wheeler wagons per day)	15937

(e) The resources are raised to meet the investment requirements of the company for its mining and non-mining projects.

Payment of Statutory Dues to PSUs

*4. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Starred Question 112 given in Rajya Sabha on 7th August, 1995 and state:

(a) whether a co-ordination mechanism, has suggested, has been formed to review the status of payment of statutory dues to the workers of CPSUs;

(b) if so, the status of the same with respect to CPSUs; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No, Sir,

(b) and (c) The matter is under consideration.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल व्यक्ति

*5. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रणाली में कौन-कौन सी वस्तु किस-किस भाव पर वितरित की जाती है;

(ग) ये भाव बाजार भाव से कितने कम हैं; और

(घ) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से समाज के कुछ वर्गों को निकालने पर विचार कर रही है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार, देश में सभी परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी प्रचालनात्मक पहलुओं जिनमें राशन कार्डों को जारी करना, प्रत्येक परिवार के लिए हकदारी का निर्धारण करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के खुदरा वितरण की व्यवस्था करना आदि शामिल है, की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केन्द्रीय सरकार ने छः मुख्य आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनकी आपूर्ति करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। इन वस्तुओं और उनके चालू केन्द्रीय निर्गम मूल्यों का ब्यौरा निम्नवत है:—

वस्तु	केन्द्रीय निर्गम मूल्य
1. चावल — कॉमन.....	597 रु॰ प्रति क्विंटल
फाइन	677 रु॰ प्रति क्विंटल
सुपर फाइन....	708 रु॰ प्रति क्विंटल
2. गेहूं.....	402 रु॰ प्रति क्विंटल
3. लेवी चीनी	9.05 रु॰ प्रति कि॰ ग्रा॰ (अन्तिम खुदरा मूल्य)